फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 86/2024 शीर्षक मांगु व अन्य बनाम गोदूसिंह व अन्य

दिनांक	कार्याही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
24/07/2024	प्रार्थीगण की ओर से ज़रिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। पत्रावली बाद जांच पेश हुई प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवश्यक प्रकृति का प्रकरण होने से इसमें आज ही सुनवाई की जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें इस बाबत् मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी पेश किया गया है। प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी संक्षिप्त बहस में बताया कि राजस्व ग्राम कुआंथल पटवार हल्का कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के पुराना खाता संख्या 795 नवीन खाता संख्या 800 के आराजी संख्या 2666/1931 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2161 हैक्टेयर भूमि एवं पुराना खाता संख्या 385 नवीन खाता संख्या 687 के आराजी संख्या 2432, 2433 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर फसल काश्त कर रहे है एवं उक्त भूमि के चारों तरफ चार–दिवारी कर रखी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है एवं प्रार्थीगण की भूमि को खूर्द बूर्द करने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। यदि प्रार्थीगण की उक्त भूमि को अप्रार्थीगणों द्वारा खूर्द बूर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण के हक एवं अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अर्थ में किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रार्थीगण को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम कुआंथल पटवार हल्का कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के पुराना खाता संख्या 795 नवीन खाता संख्या 800 के आराजी संख्या 2666/1931 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2161 हैक्टेयर भूमि एवं पुराना खाता संख्या 385 नवीन खाता संख्या 687 के आराजी संख्या 2432, 2433 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण को उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावें, न ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें, प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर बनी चार दिवारी एवं लोहे की फाटकों में तोड–फोड नहीं करें तथा मौके व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखने के आगामी पेशी तारीख तक आदेश दिए जाते है। अधिवक्ता प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 03 की पालना करें। प्रार्थीगण अधिवक्ता हुक्म इम्तदाई के नोटिस मय नकल के पेश करें। पत्रावली दिनांक 21/08/2024 को पेश हो। सहायक कलेक्टर देवगढ़,जिला राजसमन्द	

21/08/2024
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपास्थत/अनुपास्थत।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/09/24
..........................को पेश हो ।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर,देवगढ़)

18/09/2024
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/11/2024
..........................को पेश हो ।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर,देवगढ़)

12/11/2024
पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को जारी सम्मन बाद तामील हो, शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते इंतजार जवाब दिनांक 11.12.2024 को पेश हो।

11/12/2024
पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित ।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/01/2025
.... को पेश हो ।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

22/01/25
पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 05 बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते इंतजार जवाब दिनांक 12.03.25 को पेश हो।

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 80/2024 शीर्षक मांगु व अन्य बनाम गोट्टूसिंह व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
	12/02/2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकरण में नोटप्रेस कर कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन किया गया। मामले में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कमकी जावे। सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द	Not Press Dismissed